माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1870/ 8/प्रशा0/MSU/2023–24 दिनांक: 27.01.2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः– **शैक्षिक सत्र 2023–24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजीटल सिग्नेचर से फारवर्ड किये गये समस्त छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

दशमो0 छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 10/2024/147/26–3–2024/सी0एन0–1741061 एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक सं0–C– 5859/स0क0/दशमो0छात्रवृत्ति/2023–24/दिनांक 25/01/2024 (पत्र संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 का मांग पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक: 30/01/2024 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों सहित जमा कराना सुनिश्चित करें।

01 संस्था लागिन से डिजीटल लॉक कर फारवर्ड किए गए समस्त छात्रों का जातिवार मांग पत्र की प्रमाणित प्रति एवं साफ्ट कापी (सी0डी0)।

02 परिशिष्ट "झ" के अनुरूप 10/– रू0 के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमणित संस्था के सचिव व प्राचार्य का संयुक्त फोटोयुक्त शपथ पत्र।

03 बी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्रों के काउन्सलिंग के पत्र की छायाप्रति।

04 संस्था स्तर पर गठित छात्रवृति समिति का पत्र।

05 संस्था की प्रबन्ध समिति का पत्र।

06 पाठ्यक्रम वार अनुमोदित सीट के सापेक्ष जाति वर्ग वार प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश चन्द्र)
नोड़ल ऑफिसर छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2.कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3.उपकुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।
4.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली।

नोड़ल ऑफिसर छात्रवृत्ति

File No.26-3099/575/2023- -3-

2024

संख्या- 10 /2024/ 147/26-3-2024/C.N.- 1741061

प्रेषक,

राज कुमार झा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

AO
कृ. NIC / ALL DD / DSWO
व अन्य को कार्यवाही हेतु
प्रेषित करें।
11.1 (सिद्धार्थ मिश्र)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4317/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-106/2023/4035/26-3-2023/C.No-1741061 दिनांक 18.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों (शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में केवल सामान्य वर्ग के छात्र) में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 18-12-2023 के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10-01-2024 निर्धारित थी, किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कतिपय छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं।

3- उक्त के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने	12 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक

	के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	16 जनवरी, 2024 तक
3	**जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	17 जनवरी, 2024 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
4	**छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	18 जनवरी 2024 तक
5	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	21 जनवरी, 2024 तक
6	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	22 जनवरी, 2024 तक
7	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2024 तक
8	**नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन** छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय	20 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक

	अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
9	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	24 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक
10	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	24 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
11	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक
12	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
13	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 फरवरी 2024 तक
14	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	19 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक
15	**जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 मार्च, 2024 तक

16	**मॉंग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉंग सृजित कराना।	17 मार्च 2024 तक
17	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	22 मार्च 2024 तक

नोट- शासनादेश संख्या-106/2023/4035/26-03-2023 दिनांक 18-12-2023 द्वारा जारी पूर्व समय-सारिणी में उल्लिखित नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by राज कुमार(राज कुमार झा)
अनु सचिव।
Date: 13-01-2024 18:43:58
Reason: Approved

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

संख्या- C 4336/स0क0/शिक्षा-3/7/597/2023-24

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
3- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
8- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 11-01-2024 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनॉमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय-सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें।

11.1.2024

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

अति महत्वपूर्ण इ-मेल

कार्यालय :- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांक C-5859 /स0क0/दशमो0छात्रवृत्ति/2023-24/ दिनॉक 25/01/24

समस्त प्राचार्य/डायरेक्टर, (राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र)
डिग्री/लॉ/मैनेजमेंट/इंजीनियरिंग/मैडिकल/नर्सिंग/पैरामैडिकल/
बी0एड0/बी0टी0सी0/पालीटैक्नीक/आई0टी0आई0
एवं निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय,
जनपद सहारनपुर।

विषयः–शैक्षिक सत्र 2023–24 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लागिन से डिजीटल सिग्नेचर से फारवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के छात्रों का मांगपत्र का प्रेषण करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों के (प्रथम चरण) मे आवेदन करने की तिथि 31/12/2023 एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के आवेदन करने की तिथि 18/01/2024 थी एवं संस्था स्तर से आनलाईन आवेदन पत्र अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 23/01/2024 थी।

अतः संस्थान का शैक्षिक सत्र 23–24 का मांग पत्र प्रत्येक दशा में दिनॉक 30/01/2024 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों सहित जमा कराना सुनिश्चित करें:–

1	संस्था लागिन से डिजीटल लॉक कर फारवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्रों का जातिवार मांगपत्र की प्रमाणित हार्ड कापी व साफ्ट कापी। फारवर्ड लिस्ट नवीन और नवीनीकरण) प्रमाणित हार्ड कापी व आवेदन पत्रों (समस्त संलग्नकों सहित) की साफ्ट कापी(C.D.)।
2	परिशिष्ठ "ज" व "झ" (छाया प्रति संलग्न)
3	परिशिष्ट झ (रू0 10/–के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित संस्था के सचिव व प्रधानाचार्य का संयुक्त फोटोयुक्त शपथ–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
4	छात्रों की उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र कि छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत रही है तथा संस्थान द्वारा पाठयकम वार आनलाईन भरी गयी है।
5	राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद एवं अन्य पाठयकमो मे प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के द्वारा प्रवेशित छात्रों के काउन्सलिंग के पत्र की छाया प्रति यथा (बी0टेक0/बी0आर्क0/बी0फार्मा0/बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/एम0बी0ए0/एस0सी0ए0/एम0टेक0/एम0 फार्मा0/पालीटैक्नीक/डी0फार्मा/बी0एस0सी0 नर्सिंग/BMLT/GNM/ANM (आयुर्वेद एवं एलोपैथी) की छात्रवार रजिस्ट्रेशन नम्बर (स्टेट मैडिकल फैकल्टी/आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सा पद्वति बोर्ड मे रजिस्ट्रड छात्रो की सूची) संलग्न करें। जिन पाठयकमों मे प्रवेश किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होते है, वही छात्र पात्र होगें। (मैनेजमेंट कोटा/स्पाट कोटा एवं डायरेक्ट एडमिशन के छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नही होगें।)
6	ए0आई0सी0टी से मान्यता प्राप्त पाठ्यकमों में काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित समस्त वर्षो के छात्रों के काउन्सलिंग पत्र, स्कोर कार्ड एवं एडमिट कार्ड की प्रति भी संलग्न करे।
7	बी0एड0/बी0टी0सी0 पाठयकम के छात्रों के कांउन्सलिंग के पत्र की छाया प्रति छात्रवार रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के छात्र) बी0टी0सी0 हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद से जारी एलाटमेंट लैटर एवं स्नातक की मार्कशीट। इसके साथ ही बी0एड0/बी0टी0सी/एम0एड0/एम0पी0एड/एल0एल0बी0 द्वितीय वर्ष के रिनीवल छात्रों की भी स्नातक की मार्कशीट (छात्रों की अलग से सूची प्राप्त करायें)
8	आई0टी0आई संस्थान प्रवेशित छात्रों के **admission approved list** भी संलग्न करे। अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के छात्र)
9	संस्था स्तर पर गठित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का पत्र (अध्यापको के नाम, पद नाम, मोबाईल नम्बर हस्ताक्षर सहित) (संलग्न प्रारूप)
10	संस्था की प्रबन्ध समिति का पत्र।
11	पाठयकम वार अनुमोदित सीट के सापेक्ष जाति वर्ग वार प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये गये छात्रों की संख्या प्राप्त करायें। (संलग्न प्रारूप)

	किसी भी पाठयक्रम में नवीनीकरण के ऐसे छात्र का आवेदन पत्र भरा नही जायेगा/अग्रसारित नही होगा जिनके गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल) जारी न हुआ हो तथा छात्र उत्तीर्ण/प्रोन्नत हुआ हो। संस्था द्वारा अनुत्तीर्ण छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित करने पर संस्था को इसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा।
13	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली–2023 उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग 3, लखनऊ कार्यालय ज्ञाप संख्या 76 दिनॉक 27/09/2023 के एवं उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशममोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली–2023, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3, लखनऊ कार्यालय ज्ञाप संख्या 78 दिनॉक 27/09/2023 के प्राविधानों के अनुसार ही केवल पात्र छात्रो का डाटा अग्रसारित करें किसी भी दशा में नियमावली के विपरीत अपात्र छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित न करें।
14	संस्था द्वारा छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने के उपरांत यदि कोई छात्र परीक्षा फार्म नही भरता है या पाठयकम छोड़ देता है तो छात्र के बैंक खाते से उसके धनराशि आहरण पर रोक लगाने तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की विभाग को धनराशि वापिस करने का पत्र बैंक को जारी करें ताकि किसी भी दशा में अपात्र छात्र धनराशि आहरित न कर सकें। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी सूचना उपलब्ध करायें।
15	संस्था का यह दायित्व है कि प्रत्येक दशा में दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चत करें।
16	इसके साथ ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक सी--5104 दिनॉक 26/12/2023 के अनुसार जिन संस्थाओं द्वारा 18–19, 19–20, 20–21 व वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम तथा परीक्षा न देने वाले/पाठ्यकम पूरा न करने वाले छात्रों की धनराशि अभी तक वापिस नही की है वह भी तत्काल परीक्षा परिणाम प्राप्त कराना तथा परीक्षा न देने वाले/पाठ्यकम पूरा न करने वाले छात्रों की धनराशि भी वापिस कराना सुनिश्चित करे। इससे साथ वर्ष 22–23 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम यदि घोषित हो गये है तो वह भी परीक्षा परिणाम प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(अर्चना)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ0 सं0 /तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः–

निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर।
2– उप निदेशक, समाज कल्याण सहारनपुर मंडल।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
4– नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सहारनपुर।

परिशिष्ट- 3

(शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु)

छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना में संस्थान द्वारा संस्तुति अग्रसारण संबंधी शपथ–पत्र (रू0 10/–के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र निम्नानुसार संस्थाध्यक्ष (सचिव) एवं प्रधानाचार्य के फोटो (नोटरी सहित) उपलब्ध कराया जायेगा)

फोटो संस्थाध्यक्ष (सचिव) नोटरी द्वारा प्रमाणित	फोटो प्राचार्य नोटरी द्वारा प्रमाणित

1 शपथ पत्र पर संस्थान का नाम तथा पूर्ण पता संस्थाध्यक्ष का नाम/प्राचार्य का पदनाम मोबाईल नम्बर, ई–मेल, आई0डी0 एवं प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर विषयक।

2 विभाग द्वारा उपलब्ध करायें गये साफ्टवेयर पर संस्तुति की हार्ड व साफ्ट कापी (सी0डी) के रूप में।

<u>शपथ पत्र का प्रारूप समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।</u>

1 यह कि संस्था द्वारा शासनादेश सं0 76 दिनॉक 27/09/2023 द्वारा निर्गत संशोधित उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली–2023 एवं शासनादेश सं0 78 दिनॉक 27/09/2023 द्वारा निर्गत संशोधित उ0प्र0 दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली–2023 के प्राविधानो एवं अन्य दिशा–निर्देशों का भलिभांति अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही पात्र छात्रों का ही आनलाईन डाटा संस्था के लागिन से अग्रसारित किया गया है।

2 यह कि हार्डकापी मे अंकित समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करायें गये है साथ ही आय व जाति प्रमाण पत्रों का मिलान बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा हाईस्कूल व इन्टर की मार्कशीट का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड से कर लिया गया है। छात्रों के गत वर्ष के <u>पूणांक/प्राप्तांक</u> का परीक्षण कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होगा। इसके साथ ही नियमावली के प्राविधानो के अनुसार छात्रवृत्ति संबंधी समस्त अभिलेख 10 वर्ष तक संस्था स्तर पर सुरक्षित रखे गये है।

3 सभी छात्रों के आवेदन पत्रों का संस्थान स्तर पर गठित छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति से परीक्षण करा लिया गया है एवं आवेदन पत्र पर उनकी संस्तुति करा ली गयी है।

4 यह कि जिन छात्रों का डाटा अग्रसारित किया गया है उन छात्रों का स्टूडेन्ट ट्रैक रिकार्ड (student track record) से परीक्षण कर लिया गया है तथा छात्रो के आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि छात्र द्वारा पूर्व मे समकक्ष कोर्स नही किया गया है, ना ही कोई कोर्स छोड़ कर इस वर्ष पाठयक्रम मे प्रवेश लिया गया है। यदि छात्रवृत्ति नियमावली के विरूद्व किसी छात्र का नाम आनलाईन अग्रसारित होता है तो छात्र को प्राप्त धनराशि संस्था द्वारा विभाग को वापिस की जायेगी।

5 यह कि अग्रसारित किये गये छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा आनलाईन अंकन कर दिया गया है। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसकी धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

6 यह कि संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के जिन छात्रों के छात्रवृत्ति हेतू आनलाईन आवेदन पत्र फारवर्ड किये गये है उनमें से किसी भी छात्र का प्रवेश प्रबन्धकीय कोटा सीट, व स्पाट (spot) कोटे के सापेक्ष नही किया गया है।

7 यह कि शिक्षण संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2022–23 में अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों द्वारा इस वर्ष 2023–24 में नवीणीकरण किया गया है।

9 प्रत्येक छात्र का आधार नम्बर का सत्यापन कर लिया गया है तथा छात्र के बैंक खाते से लिंक/सीडेड/NPCI करा दिया गया है। सभी छात्रों के खाते अपडेट है तथा आधार से सीडेड व एनपीसीआई से मैप्ड है एवं छात्रों को अपने खाते मे नियमत रूप से लेन–देन करने के लिये सूचित किया गया है।

10 यह कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अनुरूप ही पात्र छात्र के आवेदन पत्र संस्था द्वारा डिजीटल लॉक कर अग्रसारित किये गये है एवं गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा फल घोषित होने/संबंधित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से प्रमोट करने/दोनो सेमेस्टर के नम्बर अंकित करने के उपरांत ही पात्र छात्रों के नवीणी करन का आवेदन पत्र फारवर्ड किये गये है। छात्र की मार्कशीट से प्राप्तांक/पूर्णांक का मिलान करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में अंकित कराये गये है तथा संस्था के लागिन से आनलाईन फीड कर फारवर्ड किये गये है।

11 संस्था के वर्ष 2023–24 में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी यदि उनमे से कोई छात्र परीक्षा नही देता है/पाठयक्रम पूरा नही करता है/सभी विषयो में शुन्य अंक प्राप्त करता है तो ऐसे छात्रों की धनराशि विभाग को वापिस की जायेगी। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही प्राप्त करा दिये जायेगे।

12 यह कि विगत वर्षो में जिन छात्रो ने परीक्षा नही दी/पाठ्यक्रम छोड़ दिया गया है तो उनकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भी विभाग को वापिस कर दी जायेगी।

दिनॉकः–

नाम व हस्ताक्षर शपथ कर्ता
(संस्था प्राचार्य)

नाम व हस्ताक्षर शपथ कर्ता
(संस्था प्रमुख/सचिव)

"ब"

संस्था द्वारा पाठयक्रम वार/जातिवर्गवार प्रवेशित एवं छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित छात्रों की संख्या का प्रारूप

(शैक्षिक सत्र 2023–24)

संस्था का नामः–

शैक्षिक सत्र 2023–24 मे प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रो के संबंध में सूचनाः–

क्रम सं0	पाठयक्रम का नाम	अनुमोदित सीट	अनुसूचित जाति	जन जाति	सामान्य जाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक वर्ग
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	योग						

शैक्षिक सत्र 2023–24 प्रवेशित छात्रों के सापेक्ष प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित छात्रों की सूचना

क्रम सं0	पाठयक्रम का नाम	अनुसूचित जाति	जन जाति	सामान्य जाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प सख्यक वर्ग
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	योग					

दिनॉकः–

पद नाम सहित हस्ताक्षर प्रचार्यः–

पद नाम सहित हस्ताक्षर नोडलः–

संस्था स्तर पर गठित समिति का पत्र
(शैक्षिक सत्र 2023–24)

संस्था का नाम:–

क्रम सं0	समिति के सदस्यों का नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	संस्था प्रमुख / निदेशक / प्राचार्य	अध्यक्ष		
2	संस्था के वरिष्ठम प्राध्यापक	सदस्य		
3	संस्था के वरिष्ठम अनुसूचित जाति के प्राध्यापक	सदस्य		

नोट:– 1:–अनुसूचित जाति का कोई भी वरिष्ठम प्राध्यापक उपलब्ध ना होने पर पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठम प्राध्यापक।

2:–अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक न होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा नामित सामान्य जाति का कोई प्राध्यापक।

(समिति की संस्तुति कि शैक्षिक सत्र 2023–24 में अनुसूचित जाति / जनजाति / सामान्य वर्ग के छात्रों के जो भी आनलाईन आवेदन पत्र अग्रसारित किये जा रहे है उनके द्वारा सभी आवेदन पत्रों का संयुक्त रूप से परीक्षण कर लिया गया है एवं सभी छात्र नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र है)